रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274727
CG-DL-E-23072026-274727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3870] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948
No. 3870] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVANA 1, 1948

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4040(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (तीन सौ छियासीवां संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, -

(1) प्रथम अनुसूची में शीर्षक "17क. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

"(i) राजधानी विकास विभाग

(ii) शहरी विकास विभाग";

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"**क. राजधानी विकास विभाग**

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की संपत्तियां, चाहे वे भूमि हों या भवन, अर्थात:-

(क) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों;

(ख) ऐसे भवन या भूमि, जिनके संनिर्माण या अर्जन के लिए वित्तपोषण सिविल संकर्म बजट से भिन्न बजट से किया गया हो;

(ग) ऐसी भूमि या भवन, जिनका नियंत्रण उनके निर्माण या अर्जन के समय या उसके पश्चात् स्थायी रूप से अन्य मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो।

2. संघ सरकार के सभी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अन्तर्गत, सड़कों को छोड़कर और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित या उनके भवनों को छोड़कर, संघ राज्य क्षेत्रों के सिविल संकर्म और भवन भी हैं।

3. उद्यान कृषि संक्रियाएं।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

5. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन। महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन।

7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन।

8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण विलेख जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना, ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन।

9. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास और निपटान की स्कीमें।

10. दिल्ली विकास प्राधिकरण।

11. दिल्ली का मास्टर प्लान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में मास्टर प्लान तथा मलिन बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय।

12. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण।

13. सरकारी कालोनियों का विकास।

14. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम।

15. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन।

16. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन।

17. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय।

18. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित विषय।

19. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगियों से संबंधित मामले।

20. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम।

21. दिल्ली मेट्रो रेल निगम।

22. दिल्ली होटल (आवासन का नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन।

23. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन।

24. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59)।

25. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1)।

ख. शहरी विकास विभाग

1. रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आबंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए, बस परिवहन और सड़कों सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय।

2. ऐसी रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों से भिन्न जो भारतीय रेल द्वारा वित्तपोषित हैं, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन।

3. नगर निगम सीमाओं या किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर ट्रामवे, जिसके अन्तर्गत उन्नत द्रुतगामी ट्राम भी हैं।

4. नगर और ग्राम योजना; महानगरीय क्षेत्रों की योजना और विकास से संबंधित विषय, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

5. सभी शहरी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

6. स्थानीय सरकार, अर्थात् नगर निगमों का (दिल्ली नगर निगम को छोड़कर), नगर पालिकाओं का (नई दिल्ली नगर पालिका समिति को छोड़कर) और पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर अन्य स्थानीय स्वायत्त शासनों का गठन और उनकी शक्तियां।

7. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल शक्ति मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मलव्ययन, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से जुड़ाव। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

8. क्षेत्रीय फ्रेमवर्कों और नेशनल ग्रिडों की योजना और विकास से संबंधित सभी विषय।

9. जलवायु और जलवायु अनुकूलन।

10. केन्द्रीय स्थानीय स्व-शासन परिषद्।

11. आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है), योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व।

12. मानव बस्तियां, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती आयोग, एचएसएमआई, आईएचसी तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी हैं।

13. शहरी विकास, जिसके अंतर्गत मलिन बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की स्कीमें भी हैं। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।

14. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण अग्रिम संबंधी सभी विषय।

15. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ।

16. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम भी हैं।

17. शहरी क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम / मिशन जैसे अर्बन चैलेन्ज फंड, अमृत, एसबीएम, एचएफए-अर्बन, पीएम स्वनिधि।

18. आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी विषय।

19. हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड से संबंधित विषय।

20. राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान।

21. सीपीएचईईओ

22. एनबीओ

23. सीजीईडब्ल्यूएचओ

24. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन।

25. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40)।

26. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33)।

27. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) का प्रशासन।

28. भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) का प्रशासन।";

(ख) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 31 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"31क. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रकाशन भी हैं।"।

द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/1/2025-मंत्रि.]

सतेन्द्र सिंह, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4040(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely: -

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Eighty-sixth Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, -

(1) in THE FIRST SCHEDULE, after the heading "17A. Ministry of Housing and Urban Affairs (Awasan aur Shahari Karya Mantralaya)", the following sub-headings shall be inserted, namely: -

"(i) Department of Capital Development (Rajdhani Vikas Vibhag)

(ii) Department of Urban Development (Shahari Vikas Vibhag)";

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (AWASAN AUR SHAHARI KARYA MANTRALAYA)", for the entries, the following shall be substituted, namely:-

"**A. DEPARTMENT OF CAPITAL DEVELOPMENT**

(RAJDHANI VIKAS VIBHAG)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions, namely: -

(a) those belonging to the Ministry of Defence, the Ministry of Railways and the Department of Atomic Energy and the Department of Space;

(b) buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget;

(c) buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Union Government civil works and buildings including those of Union territories excluding roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways, Department of Posts, Department of Telecommunications, Department of Atomic Energy and the Department of Space.

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Department.

5. Administration of Government estates including Government hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

8. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in the National Capital Territory of Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

9. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in the National Capital Territory of Delhi.

10. Delhi Development Authority.

11. Master Plan of Delhi, coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.

12. Erection of memorials in honour of freedom fighters in the National Capital Territory of Delhi.

13. Development of Government colonies.

14. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

15. Allotment of Government land in the National Capital Territory of Delhi.

16. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

17. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

18. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

19. Matters relating to NBCC (India) Limited and its subsidiaries.

20. National Capital Regional Transport Corporation.

21. Delhi Metro Rail Corporation.

22. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949 (24 of 1949).

23. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

24. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).

25. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974).

B. DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(SHAHARI VIKAS VIBHAG)

1. Planning and coordination of urban transport systems including bus transport and roads, with technical planning of rail based systems being subject to the items of work allocated to the Ministry of Railways, Railway Board.

2. Fixing of maximum and minimum rates and fares for rail-based urban transport systems, other than those funded by the Indian Railways.

3. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.

4. Town and Country Planning; matters relating to the Planning, and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and Technical Assistance in this field.

5. International cooperation and technical assistance for all urban matters.

6. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.

7. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Jal Shakti), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International Cooperation and Technical Assistance in this field.

8. All matters relating to Planning and Development of Regional Frameworks and National Grids.

9. Climate and climate adaptation.

10. The Central Council of Local Self-Government.

11. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures of reduction of building costs and nodal responsibility of National Housing Policy.

12. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements, HSMI, IHC, and International Cooperation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

13. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and Technical Assistance in this field.

14. All matters pertaining to House Building Advance for Central Government employees.

15. National Cooperative Housing Federation.

16. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.

17. Urban sector related National Programmes/Missions such as Urban Challenge Fund, AMRUT,SBM,HFA-Urban, PMSvanidhi.

18. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO).

19. Matters relating to Hindustan Prefab Limited.

20. National Institute of Urban Affairs.

21. CPHEEO

22. NBO

23. CGEWHO

24. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).

25. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

26. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).

27. Administration of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014).

28. Administration of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).";

(b) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)", after entry 31, the following entry shall be inserted, namely:-

"31A. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.".

Droupadi Murmu
President

[F. No. 1/21/1/2025-Cab.]

SATENDRA SINGH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.